न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 85 2015

तारीख दायरा–13.07.2015

तारीख निर्णय–23.01.2017

1. श्री अमरसिंह पिता रोडसिंह राजपूत निवासी रावलियाखुर्द तहसील गोगुन्दा।
2. श्री लालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी रावलियाखुर्द तहसील गोगुन्दा।
3. श्री डालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी रावलियाखुर्द तहसील गोगुन्दा।

.......वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से– प्रतिवादी स्वयं

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं मिलकियत की आराजी नम्बर 6913/5730 रकबा 0.0850 है0 भूमि मौजा गोगुन्दा पटवार क्षेत्र गोगुन्दा में स्थित है। उक्त आराजी के वादीगण एक मात्र मालिक होकर कय दिनांक 17.06.1994 एवं 23.06.1995 से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। वादी संख्या 1 ने दिनांक 17.06.1994 को मूल खातेदार श्रीमती टमु बाई पत्नी नाथु जी मेघवाल निवासी गोगुन्दा से आराजी म्बर 5730 में से भूखण्ड कय किया। वादी संख्या 2 एवं 3 जब नाबालिग थे तब वादी संख्या 1 ने इनके नाम से दिनांक 23.06.1995 को मूल खातेदार श्रीमती टमुबाई से आराजी संख्या 5730 मे से भी भूखण्ड कय किया। आराजी संख्या 5730 रकबा 0.0850 को श्रीमती टमुबाई ने दिनांक 04.12.1991 को कृषि भूमि से आवासिया प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करने पर उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा आदेश कमांक एफ. 12(3)(3) राजस्व/बी0/42/91/4165/67 दिनांक 04.12.1991 से भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गई। उक्त आदेश की पालना में जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया तब वादी का नाम खाते से हटाकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला,उदयपुर

[illegible] नम्बर 6913/5730 रकबा 0.0850 हेक्टेयर किस्म आबादी बिलानाम गैर काबिल काश्त कर दिया तथा श्रीमती टमुबाई का नाम खाते से हटा दिया। श्रीमती टमुबाई द्वारा वादीगण को कलम संख्या 2 व 3 में [illegible] अनुसार विकय करा दी। तत्पश्चात वादीगण ने उक्त आराजी पर होटल व्यवसाय करने हेतु होटल का निर्माण किया तथा होटल का व्यवसाय करने लगे। दिनांक 26.08. 1993 करे आराजी संख्या 6913/5730 रकबा 0.0850 है0 भूमि को आवासीय से व्यवसायिक (उद्योग) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया। तब से उक्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को पुनः वादीगण के नाम पर दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित फरमाई जावें कि मौजा गोगुन्दा की आराजी नम्बर 6913/5730 रकबा 0.0850 है0 भूमि में राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण खुला उसमें सहवन से बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हो गया, उसे पुनः दुरूस्त कर वादीगण के नाम घोषित करवाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र के तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा गोगुन्दा की आराजी नम्बर 6913/5730 रकबा 0.0850 है0 किस्म आबादी बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। उक्त आराजी पर वादीगण श्री अमरसिंह पिता रोडसिंह, लालसिंह पिता भंवरसिंह, डालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत द्वारा पक्का निर्माण कर रखा है। उप जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश कमांक 4165–67 दिनांक 04.12.1991 से आराजी नम्बर 5730 रकबा 0.0850 है0 भूमि कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 23. 05.1991 से दर्ज कर खातेदार के स्थान पर नामान्तरकरण संख्या के कॉलम संख्या 9 में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज किया गया था। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वाद पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी नम्बर 6913/5730 रकबा 0.0850 है0 भूमि वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध संपरिवर्तन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा आराजी नम्बर 5730 रकबा 0.0850 है0 भूमि दिनांक 04.12.1991 को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिर्वन कराया था। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 23. 05.1991 दर्ज किया गया, उसमें भूमि खातेदार के नाम दर्ज नही कर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर दी गई, जो उचित प्रतीत नही होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर आराजी नम्बर 6913/5730 रकबा 0.0850 है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

आ रहे है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गोगुन्दा की आराजी नम्बर 6913/5730 रकबा 0.0850 हे0 किस्म आबादी का डेलानाम गैर काबिल काश्त के बजाय वादी अमरसिंह पिता [illegible] लालसिंह पिता अमरसिंह व डालसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासियान पडावलियाखुर्द की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली निर्णित हुक्म तामील व अमल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर